न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–12/2015 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. गोविन्द राम पुत्र श्री रामचरण गुर्जर,
2. कल्लूराम पुत्र श्री रामचरण गुर्जर,
3. जसराम पुत्र श्री रामचरण गुर्जर,
4. देवीसिंह पुत्र श्री रामचरण गुर्जर निवासी ग्राम बाई तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... वादीगण/अपीलांट

बनाम

1. बलबीर पुत्र स्व0 श्री मंगल गुर्जर,
2. संतराम पुत्र स्व0 श्री मंगल गुर्जर,
3. भागमल पुत्र स्व0 श्री मंगल गुर्जर निवासीयान ग्राम बखापुर तहसील व जिला रेवाड़ी (हरियाणा)

.....असल प्रतिवादी/रेस्पोडेन्टान

4. तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ (लैण्ड होल्डर) तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... तरतीबी रेस्पो0

उपस्थित :–
1. श्री श्योरामसिंह नरूका, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल अभिभाषक असल रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–31.08.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दिनांक 12.11.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आराजी ख0 नं0 1102 रकबा 2 बीघा, 1091 रकबा 15 बिस्वा, 1092 रकबा 15 बिस्वा, 1008 रकबा 2 बीघा कुल किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बाई तहसील लक्ष्मणगढ़ में स्थित है जो आराजी विवादित है । विवादित आराजी

प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी है । वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही बिरादरी के हैं तथा आपस में रिश्तेदार हैं । वादीगण ग्राम बाई तहसील लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले हैं तथा प्रतिवादीगण हरियाणा प्रान्त के रहने वाले हैं । चूंकि प्रतिवादीगण वादीगण के रिश्तेदार हैं । इस कारण वादीगण ने ही प्रतिवादीगण को सन् 2007 में विवादित आराजी की खरीद करवाई थी तथा प्रतिवादीगण हरियाणा प्रान्त के रहने वाले हैं जो कि विवादित आराजी पर कार्य काश्त करने में असमर्थ हैं । इस कारण से विवादित आराजी खरीद करने के बाद से ही प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को ही ठेके पर निरन्तर प्रतिफल लेकर देते आ रहे हैं अर्थात खरीद करने के बाद से प्रतिवादीगण की आराजी पर वादीगण का ही कब्जा काश्त हैं । प्रतिवादी भागमल ने माह अगस्त 2012 में वादी सं0 3–4 को अपनी आराजी ख0 नं0 1574 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा को 2 लाख रू0 प्रति बीघा के हिसाब से विक्रय कर बयनामा करा दिया जिसका इन्तकाल दर्ज व मंजूर होकर वादी सं0 3–4 का नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में बतौर खातेदार काबिज काश्तकार के आ गया है । प्रतिवादी भागमल ने उक्त आराजी विक्रय करने के बाद प्रतिवादीगण ने माह दिसम्बर 2012 में वादीगण से कहा कि हमें बच्चों की शादी के लिए रूपयों की आवश्यकता है । इसलिए हमें अपनी जमीन बेचान करनी है जिस पर वादीगण प्रतिवादीगण की आराजीयात को खरीद करने को सहमत हो गये और सौदा मौखिक तौर पर वादीगण ने 1.1.2013 को दो लाख रू0 प्रति बीघा से 11 लाख रू0 में कर लिया साथ ही प्रतिवादी सं0 1–2 व उसके भाई रोशनलाल की ग्राम पाली स्थित आराजी को बेचान करने का सौदा भी उक्त भाव से मौखिक तौर पर हो गया । वादीगण से साई मद्दे 51 हजार रू0 प्राप्त कर लिये । दि0 31.1.2013 को प्रतिवादी भागमल की लड़की की शादी थी इस कारण से प्रतिवादीगण ने उक्त सौदा मद्दे 8 लाख रू0 और प्राप्त कर लिये । चूंकि प्रतिवादीगण वादीगण के रिश्तेदार है जिनके मध्य प्रेमभाव और आपसी विश्वास था तथा लिखापढ़ी रकम अदायगी की नहीं करायी गयी तथा प्रतिवादीगण ने वादीगण के साथ यह करार किया कि बैशाख तक बकाया रकम लेकर बयनामा वादीगण के हक में करा देगें । बैशाख आने के बाद वादीगण ने प्रतिवादीगण से बकाया रकम लेकर बयनामा कराने को कहा तो प्रतिवादीगण टालबाल करते रहें जिस पर प्रतिवादीगण पर संदेह होने के कारण रिश्तेदार मौजिज लोगों को इकट्ठा कर पंचायत बुलाई जिसमें बकाया रकम लेकर बयनामा कराने को कहा तो प्रतिवादीगण ने दि0 20.06.2013 तक बयनामा का आश्वासन दिया तथ प्रतिवादीगण ने वादीगण से 2 लाख रू0 और प्राप्त कर लिये । उसके बाद वादीगण ने प्रतिवादीगण से बकाया रकम लेकर बयनामा कराने को कहा लेकिन प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया और धमकी दी कि ज्यादा रकम देने वाले मिल रहे हैं । इसलिए आराजी दीगर लोगों को बेचेगें । इसलिए दावा करना आवश्यक हुआ । इस प्रकार वादीगण विवादित आराजी के बोनाफाईड परचेजर हैं तथा विवादित आराजी की रकम अदा कर चुके हैं । वादीगण का कब्जा काफी पुराना है जिससे एडवर्श पजेशन के आधार पर भी वादीगण को हकूक खातेदार प्राप्त हो चुकी हैं । ऐसी स्थिति में वादीगण को विवादित आराजी का खातेदार काबिज काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम जो

3/18

अंकन हो रहा है उसे कब्जे व मौके के खिलाफ तथा वादीगण के अधिकारों के खिलाफ बातिल व बेअसर करार दिया जाकर कलमजन किया जावें ।

विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया । दौराने वाद असल प्रतिवादी सं0 1 ल0 3 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता को पेश किया । जवाब वादी/अप्रार्थी द्वारा दिया गया । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर दिनांक 12.11.2014 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 को स्वीकार करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया जिस निर्णय दि0 12.11.2014 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र के आधार पर पारित निर्णय का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि अपील में दफा 5 मियाद अधिनियम के बिन्दू सही दर्ज किये हैं ।

बहस में आगे कहा कि प्रतिवादी द्वारा गिर्राज के पक्ष में किये गये बयनामा की पालना आज तक नहीं हुई है । वाद में द्वितीय प्रति पेश नहीं करने से दावा खारिज किया है । तहत न्यायालय का निर्णय नोन स्पीकिंग है । दावा 88, 89 का है जिसमें फसल हमारी है । आदेश 7 नियम 11 इस बिनाय पर खारिज नहीं की जा सकती है कि द्वितीय प्रति पेश नहीं है । यदि प्रतिवादी ने आराजी बेच दी है और रजिस्टर्ड बयनाम करा दिया है तो गिर्राज स्वयं केस लड़े । गिर्राज की दोनों अपीलें खारिज हो चुकी है । प्रतिवादी क्यों केस लड़ रहे हैं ? तहत न्यायालय का निर्णय गलत है जिसे मैरिट पर सुनकर निर्णय करना चाहिए । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार करने का अनुरोध किया । उन्होंने अपने समर्थन में डी.एन.जे. 2011 पेज 1066, आर.आर.टी. 2011–12 पेज 74 पेश की ।

आगे कहा कि वादी ने आदेश 7 नियम 11 का तहत न्यायालय में विस्तृत जवाब पेश किया और अपने वाद के तथ्यों को प्रार्थना पत्र के जवाब में दोहराया और कहा कि विवादित आराजी पर वादी का ही कब्जा काश्त है । कथित बयनामा 19.06.2013 फर्जी व नुमायशी है । मौके पर वादी की फसल खड़ी हुई है । प्रतिवादीगण राजस्थान के बाहर हरियाणा के रहने वाले हैं । इसलिए वादी ने प्रतिवादी से विवादित आराजी को ठेके पर काश्त करने के लिए ली थी तथा ठेके राशि भी वादी ने समय–समय पर अदा की है । विवादित आराजी आपस में मिली हुई होना व तकासमा की प्रार्थना को अपने जवाब अनुसार सही होना बताया । कथित बयनामा के आधार पर विवादित आराजी का खरीदकर्ता गिर्राज के द्वारा स्थगन आदेश के विरूद्ध अपील पेश की गयी थी जो खारिज हो गयी । मौके पर उनका कोई कब्जा काश्त नहीं है । साथ ही यह कहा कि कानूनी नजीरों आर.आर.टी. 2017 पेज 1100 पेश करते हुए कहा है कि आर.आर.टी. 2009 पेज 638, आर.आर.टी. 2012 पेज 332, आर.एल.डब्ल्यू. 2008 पेज 1390, आर.आर.डी. 2011 पेज 508, आर.बी.जे. 2014 पेज 1 में प्रतिवादी आदेश 7 नियम 11 के आधार पर दावा खारिज कराने का अधिकारी नहीं है । तहत न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि तहत न्यायालय ने वादी द्वारा द्वितीय

3/1/18

प्रति पेश नहीं की । इसके आधार पर दावा अस्वीकार किया है जो कानून के विपरीत है । यह भी कहा कि तहत न्यायालय ने धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट की आपत्तियों का जवाब पेश कर साक्ष्य के आधार पर निर्णय के लिए अवसर दिया है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय काबिल खारिजी के है और अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित करने का अनुरोध किया ।

जवाब बहस में अभिभाषक असल रेस्पो0 का कथन है कि वादी/अपीलांट ने दावा तहत न्यायालय में पेश किया जिसका आधार यह लिखा है कि यह आराजी इनको ठेके पर है तथा मौखिक बयनामा होना बताया तथा किश्तों में राशि देना वादी ने बताया तथा कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई है । दि0 20.6.2003 को बयनामा नहीं कराने के कारण वाद पेश किया जाना बताया । रेस्पो0 अभिभाषक का कहना है कि मौखिक साक्ष्य के आधार पर दावा चल नहीं सकता है । मौखिक साक्ष्य पर यदि वाद है तो सिविल न्यायालय तय करेगी । अतःयह दावा वार्ड बाई लॉ है । ऐडवर्श पजेशन के आधार पर भी वाद वादी पेश होना बता रहे हैं । प्रतिवादी ने वादी को बेदखल करने की धमकी देना भी दावें में बताया है । प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पेश किया तथा अपने प्रार्थना पत्र के तथ्य दोहराये और कहा कि वादपत्र में यह देखना है कि क्या वाद चलने योग्य है । वाद के तथ्य स्वतः ही स्पष्ट हैं । वाद वादी बार्ड बाई लॉ है । मेरे प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पर तहत न्यायालय ने सही निर्णय किया है तथा दावा वादी सही खारिज किया है । इस निर्णय के खिलाफ यह अपील पेश की है । दि0 12.11.2014 की अपील दि0 16.2.2015 को पेश की है जो मियाद बाहर पेश की है । रेस्पो0 ने मियाद अधिनियम का जवाब पेश किया । अपील के तथ्य गलत हैं कि तहत न्यायालय ने कब–कब पेशी की तारीख दी हैं। कैवियट दर्ज के साथ ही अपीलांट के नाम रजिस्टर्ड ऐ.डी. करायी तब भी इनको निर्णय की जानकारी थी । दि0 10.2.2015 को जो नकल दी गई उसे 8.1.2015 दर्ज करना बता रहे हैं । इसका कोई ऐतराज नहीं किया कि प्रार्थना पत्र की दिनांक पहले की है तो नकल की दिनांक पहले से ही क्यों है ? रेस्पो0 का यह कहना कि 10–11 लाख रू0 में बेचान का कोई सौदा किया है तो क्या उसकी कोई लिखा–पढ़ी क्यों नहीं की ? दावा वादी गलत है तथा गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण आदेश 7 नियम 11 में तहत न्यायालय ने सही खारिज किया है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें । उन्होंने अपने कथन की ताईद में डी.एन.जे. 2010 पेज 400, डी.एन.जे. 2014 पेज 699, डी.एन.जे. 2017 पेज 1054, आर.आर.टी. 2018 पेज 188, डी.एन.जे. 2012 पेज 283, आर.एल.डब्ल्यू. 2008 पेज 3599, आर.एल.डब्ल्यू. 2006 पेज 919, आर.आर.टी. 2011 पेज 851, आर.आर.डी. 2007 पेज 311, आर.आर.डी. 2002 पेज 582, आर.आर.टी. 2014 पेज 279 पेश की ।

हमने अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों तथा आदेश 7 नियम 11 के प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.11.2014 का अवलोकन किया तथा पेश कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया ।

3/18

अवलोकन अनुसार वादी द्धारा तहत न्यायालय में विवादित आराजी ख0 नं0 1088, 1090, 1107 एवं 1084/1 के बाबत तकासमा का दावा पेश किया गया था । वादी के वाद के अनुसार विवादित आराजी को प्रतिवादीगण ने वादी को ठेके पर काश्त के लिए दे दी और तभी से विवादित आराजी पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है । प्रतिवादीगण वादीगण के रिश्तेदार हैं और वादी ने ही प्रतिवादीगण को उक्त आराजी खरीद करवायी थी परन्तु प्रतिवादी ने एक नुमायशी विक्रयपत्र दि0 19.06.2013 के द्धारा जमीन का जो बेचान किया है उसकी वादी को कोई जानकारी नहीं है । विवादित आराजी पर उक्त खसरा नम्बरान के मध्य डोल–मेढ़ नहीं होने से आपस में मिले हुए हैं जिसके कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वादी की आराजी कहा होकर है और प्रतिवादी की आराजी कहा है । मौके पर वादी की ही कब्जा काश्त लम्बे समय से चली आ रही है । प्रतिवादीगण विवादित आराजी में अब व्यवधान पैदा कर रहे हैं । इसलिए यह तकासमा का दावा पेश किया जाना बताया और कहा कि अलग–अलग पैमाईश, तारबंदी और पत्थरगढ़ी करवायी जावें और प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाना चाहा कि पैमाईश और तकामसा होने तक वादी को विवादित आराजी से बेदखल नहीं करें और न ही विवादित आराजी का कहीं हस्तारण करें तथा रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें ।

प्रतिवादी रेस्पो0 सं0 1 ल0 3 ने तहत न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी का वादी ख0 नं0 1084/1 का सैपरेट खातेदार है तथा शेष नम्बरान का प्रतिवादी 1 ल0 3 रेकार्डेड खातेदार था जिन्होंने विवादित आराजी रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दि0 19.06.2013 से गिर्राज को बेचान कर दी और तभी से कब्जा सम्भलवा दिया । विवादित आराजी में वादी और प्रतिवादी कहीं पर भी सह खातेदार नहीं है । बहस में उन्होंने यह भी बताया कि धारा 53 आर.टी.एक्ट के अनुसार कोटिनेन्ट नहीं होने पर वाद चलने योग्य नहीं है और वार्ड बाई लॉ है ? इसलिए विवादित आराजी का न तो विभाजन करवाया जा सकता है और न ही विवादित आराजी के किसी प्रकार के ठेके पर कब्जा काश्त का कोई एग्रीमेन्ट है । इसलिए गलत तथ्यों पर वाद पेश किया गया है जो आदेश 7 नियम 11 के तहत वार्ड बाई लॉ है । साथ ही यह भी कहां कि आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान के अनुसार वाद की द्वितीय प्रति पेश नहीं करने पर भी वाद वादी काबिल खारिजी के है ।

प्रतिवादी/प्रार्थी के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के आधार पर बहस में विवेचन में पाया कि प्रतिवादी/प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी ख0 नं0 1084/1 यह वादी की तन्हा खातेदारी में है तथा शेष ख0 नं0 1088, 1090 व 1107 प्रतिवादीगण 1 ल0 3 की तन्हा खातेदारी में थी जिसे रेकार्डेड खातेदार की हैसियत से रजिस्टर्ड बयनामा दि0 19.06.2013 के द्धारा श्री गिर्राज को बय कर दी तथा उसका प्रतिफल प्राप्त किया तथा कब्जा भी खरीददार गिर्राज को सम्भलवा दिया । इसलिए कोटिनेन्सी की आराजी नहीं होने के कारण दावा वादी विभाजन योग्य नहीं होने के कारण वार्ड बाई लॉ है । इसलिए वार्ड बाई लॉ के द्धारा आदेश 7 नियम 11 में वाद वादी सही खारिज किया है ।

3/18

द्वितीय बिन्दू प्रतिवादी के द्वारा यह भी उठाया कि विवादित आराजी को प्रतिवादी ने कभी भी वादी को ठेके पर काश्त के लिए नहीं दी । ऐसा कोई भी रेकार्ड, एग्रीमेन्ट वादी के द्वारा पेश नहीं किया है जिसके आधार पर अपना कब्जा काश्त बता कर इनके द्वारा खातेदारी चाही गयी है । यह बिन्दू भी उनके द्वारा बताया गया कि किसी एग्रीमेन्ट के द्वारा प्रकरण सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है । इसलिए यह वाद वार्ड बाई लॉ है । प्रतिवादी ने कानूनी नजीर आर.आर.टी. 2017 पेज 1100 का हवाला देते हुए कहा कि इस निर्णय में अन्य कानूनी नजीरें आर.आर.टी. 2009 पेज 638, आर.आर.टी. 2012 पेज 332, आर. एल.डब्ल्यू. 2008 पेज 1390, आर.आर.डी. 2011 पेज 508, आर.बी.जे. 2014 पेज 1 का भी हवाला दिया गया है जिसके अनुसार Rejection of plaint-suit filed on the basis of unregistered sale deed & also on the ground of adverse possession-suit is barred by law & not maintainable-Held, Suit dismissed.

तृतीय बिन्दू में यह भी कहा कि तहत न्यायालय के आदेश की जानकारी वादीगण को पहले से ही थी । उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा अपीलीय न्यायालय में पेश की गई थी जिसके निर्णय की जानकारी होने से सैक्शन 5 मियाद अधिनियम डिले कन्डोन किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है । इसलिए प्रथम दृष्ट्या मियाद अधिनियम की धारा 5 के आधार पर अपील काबिल खारिजी के है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं कानूनी नजीर आर.आर.टी. 2011 पेज 1100 का अवलोकन अनुसार यदि अन रजिस्टर्ड सैलडीड के आधार पर एवं एडवर्श पजेशन के आधार पर खातेदारी बाबत दावा पेश किया जाता है तो वह आदेश 7 नियम 11 में खारिज किया जा सकता है । साथ ही आर.टी.एक्ट की धारा 53 के प्रावधान 1 ल0 5 के अनुसार विभाजन के लिए विवादित आराजी में सह खातेदार होना आवश्यक है । विवादित आराजी में वादी और प्रतिवादीगण सह खातेदार नहीं है अपितु ख0 नं0 1084/1 का वादी सैपरेट खातेदार है और शेष खसरा नम्बरान के रेकार्ड के अनुसार प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार थे । अतः बिना सह खातेदारी का विभाजन का वाद भी वार्ड बाई लॉ की रेणी में आता है । चूंकि तहत न्यायालय के द्वारा वाद आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान वादपत्र की द्वितीय प्रति पेश नहीं की, इसके आधार पर खारिज किया गया था । यद्यपि इसके लिए भी आदेश 7 नियम 11 भी लागू होता है परन्तु कार्यालय रिपोर्ट में वाद प्रति द्वितीय प्रतिलिपि के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं करने से प्रार्थी/रेस्पो0 कोई भी रीलीफ इस बिन्दु पर प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं, अपितु अन्य बिन्दुओं के आधार पर अपील अपीलांट वार्ड बाई लॉ होने से काबिल खारिजी के है ।

जहां तक डिले कन्डोन किये जाने का संबंध है, माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल का इस संबंध में नरम रूख अपनाते हुए डिले को कन्डोन किये जाने का आदेश पारित किये हैं और डिले का जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उस पर देरीना माफी स्वीकार योग्य है परन्तु मैरिट के आधार पर अपील अपीलांट काबिल खारिजी के है ।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दि0 12.11.2014 में पारित डिक्री वाद वादी खारिज की जाती

5/3/18

है, को यथावत रखा जाता है । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31.8.18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर